रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2015/आश्विन 7, 1937
No. 337] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2015/ASVINA 7, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 24 सितम्बर , 2015

सं. टीएएमपी/22/2012–एनएमपीटी. – महापत्त्न न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्त्न प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, मेंगलूर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकैमिकल्स लि. से प्राप्त संदर्भ, जिसके द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश संख्या टीएएमपी/22/2012-एनएमपीटी दिनांक 1 अप्रैल, 2013 के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया था, का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/22/2012–एनएमपीटी

मेंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि. **आवेदक**

कोरम:

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सी.बी. सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितम्बर, 2015 के आज चौथे दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने जेट्टी संख्या 10 और 11 के लिए वर्ष 2002-03 से 2008-09 तक घाटशुल्क दर के निर्धारण के लिए आदेश संख्या टीएएमपी/22/2012-एनएमपीटी दिनांक 1 अप्रैल, 2013 पारित किया था। उक्त आदेश को 18 अप्रैल, 2013 को राजपत्र संख्या 112 द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश के निष्कर्ष से संबंधित पैरा 11.2 में इस प्राधिकरण ने न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) और मेंगलूर रिफाइनरीज एंड पैट्रोकैमिकल लि. (एमआरपीएल) को 2008-09 से आगे घाटशुल्क दर को अंतिम रुप देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने की सलाह दी थी। उक्त आदेश के पैरा 11.2 को नीचे दिए अनुसार पुन:उद्धृत किया जाता है:

"11.2. एनएमपीटी और एमआरपीएल को सलाह दी जाती है कि वे परस्पर मिलजुल कर 2009-10 से और उसके आगे घाटशुल्क की दर को अंतिम रुप प्रदान करें और राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 3 महीनों के भीतर इस प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।"

2.1. उक्त आदेश के पैरा 11.2 के संदर्भ में, एमआरपीएल ने अपने पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2013 द्वारा इस प्राधिकरण को यह स्पष्ट करने के लिए लिखा है कि क्या आदेश का निष्कर्ष से संबंधित पैरा 11.2 दोनों बर्थों अर्थात बर्थ संख्या 10 और बर्थ संख्या 11 के लिए 2014-15 तक समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिए घाटशुल्क के अभिकलन पर लागू होता है।

2.2. एमआरपीएल ने इस प्राधिकरण से समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रयोज्यता की अवधि, एनएमपीटी पर बर्थ संख्या 10 और बर्थ संख्या 11 के लिए घाटशुल्क के अभिकलन की पद्धति के बारे में एमआरपीएल को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अनुरोध किया है।

3.1. एमआरपीएल से प्राप्त दिनांक 23 अप्रैल, 2013 के अभ्यावेदन की प्रतिलिपि हमारे पत्र दिनांक 8 मई, 2013 द्वारा एनएमपीटी को अग्रेषित की गई थी और उसकी एक प्रति एमआरपीएल को भी पृष्ठांकित की गई थी। उक्त पत्र में पत्तन से अनुरोध करते हुए एमआरपीएल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपने विचार/टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए पत्तन से अनुरोध किया गया था। 24 मई, 2013 और 12 जून, 2013 को स्मरण पत्र भी भेजे गए हैं।

3.2. इस संबंध में, एनएमपीटी ने अपने पत्र दिनांक 10 जून, 2013 द्वारा एमआरपीएल द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है, जिसका संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है:

(i) ऋणदायी संस्थानों और एमआरपीएल को ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में समझौता ज्ञापन की अवधि जेट्टी संख्या 10 के संबंध में 15 अक्तूबर, 2009 को और जेट्टी संख्या 11 के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हो गई है। वर्ष 2002-03 से 2008-09 तक के लिए जेट्टी संख्या 10 और जेट्टी संख्या 11 के लिए अंतिम रुप से घाटशुल्क का निर्धारण करते समय इस मामले पर प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2013 के पैरा 10(v) द्वारा कार्रवाई की गई है।

(ii) इसके अलावा, जेट्टी संख्या 10 और जेट्टी संख्या 11 के लिए समझौता ज्ञापन के समाप्त होने के पश्चात् घाटशुल्क के निर्धारण के संबंध में विवाद को भी पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा बोर्ड के संकल्प संख्या 159 दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 द्वारा समाधान कर दिया गया था और समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार अंतिम आदेश पारित करने के लिए बोर्ड का निर्णय मंत्रालय को 23 अक्तूबर, 2012 को भेजा गया था। सरकार के आदेशों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। चूँकि समझौता ज्ञापन के समाप्त होने के संबंध में मामले पर पहले ही टीएएमपी के आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2013 में कार्रवाई की गई है, इसलिए आगे ओर कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

(iii) समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् घाटशुल्क की गणना करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि समझौता ज्ञापन की अवधि के पश्चात् सामान्य घाटशुल्क लागू है।

4.1. इस मामले में एनएमपीटी परिसर में 21 जून, 2013 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया था। एमआरपीएल द्वारा संदर्भित मामले के संबंध में एनएमपीटी ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। एमआरपीएल ने भी अपने संदर्भ में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, एनएमपीटी और एमआरपीएल ने निम्निलिखित अनुरोध किए:

<u>न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास</u>

(i) टीएएमपी ने एनएमपीटी और एमआरपीएल की बात सुनने के बाद अपने विवेक से आदेश पारित कर दिया है। हमें टीएएमपी आदेश का सम्मान करना चाहिए।

(ii) हम समझौता ज्ञापन की अवधि के पश्चात् के लिए एसओरआर दर पर एमआरपीएल से वसूली कर रहे हैं। जेट्टी संख्या 10 के लिए 16.10.2009 के पश्चात् और जेट्टी संख्या 11 के लिए 1.4.2011 से समझौता ज्ञापन के फार्मूला के अनुसार दरों का अभिकलन सही नहीं है। समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त होने के पश्चात केवल सामान्य घाटशुल्क लागू है।

(iii) एसओआर के सामान्य संशोधन से संबंधित हमारे प्रस्ताव में समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जेट्टी संख्या 10 और 11 के लिए `70 प्रति मी.टन की दर को हिसाब में लिया गया है। टीएएमपी ने आय के अनुमान में `70 की दर पर विचार किया है और फरवरी, 2012 के आदेश में पीओएल के प्रशुल्क को `70 से घटाकर `51.80 किया है। टीएएमपी ने भी आय के अनुमान पर विचार करते हुए अन्य वस्तुओं के लिए प्रशुल्क को 26% घटा दिया है। हमारी आय में `55 करोड से `60 करोड की कमी आयी है। एमपीआरएल जेट्टी संख्या 10 के लिए 16 अक्तूबर, 2009 से आगे और जेट्टी संख्या 11 के लिए 1 अप्रैल, 21011 से `70 की दर से भुगतान नहीं कर रहा है।

(iv) हम फरवरी 2012 के टीएएमपी आदेश के अनुसार अप्रैल, 2012 से दोनो जेट्टियों के लिए `51.80 की दर पर विचार कर रहे हैं। एमआरपीएल भी 1 अप्रैल, 2012 से दोनो जेट्टियों के लिए `51.80 की दर से भुगतान नहीं कर रहा है। वे केवल समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी `33 प्रति मीटन की तदर्थ दर पर ही भुगतान कर रहे हैं।

(v) मंत्रालय ने पारस्परिक रुप से सहमति के लिए एमआरपीएल के साथ मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए अगस्त, 2012 में एनएमपीटी को सलाह दी थी। हमने अक्तूबर, 2012 में एमआरपीएल के साथ दो बैठकों आयोजित की थीं। एमआरपीएल ने समझौता ज्ञापन के फार्मूला के अनुसार प्रशुल्क के निर्धारण की मांग की थी।

(vi) हमारे बोर्ड ने अप्रैल, 2012 से दोनों जेट्टियों के लिए `51.80 का प्रभार वसूलने का निर्णय लिया है क्योंकि टीएएमपी द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है।

(vii) जेट्टी संख्या 10 के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जेट्टी संख्या 11 के लिए ही विवाद है। एमआरपीएल एक महत्वपूर्ण ग्राहक होने के नाते, हमारे बोर्ड ने यह समाधान किया है कि अप्रैल, 2011 से मार्च 2012 तक `70 की तुलना में जेट्टी संख्या 11 के लिए भी `51.80 वसूल किए जाएं। हमने 16.47 करोड रुपए की सहायता दी है। हमने बोर्ड का यह निर्णय मंत्रालय को भेज दिया है। हम मंत्रालय के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंत्रालय का निर्णय एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।

(viii) टीएएमपी के आदेश के पैरा 11.2 में "2009 से आगे" शब्दों का तात्पर्य जेट्टी संख्या 10 के लिए अप्रैल, 2009 से 15 अक्तूबर, 2009 और जेट्टी संख्या 11 के लिए अप्रैल, 2009 से मार्च, 2011 तक की समझौता ज्ञापन की शेष अवधि के लिए घाटशुल्क के अभिकलन के संदर्भ से है।

(ix) टीएएमपी ने अप्रैल, 2013 के आदेश की कार्यवाहियों में ऋण की पूर्वसमाप्ति के मामले पर एमआरपीएल की बात सुनी और यह निर्णय लिया कि जेट्टी संख्या 11 के लिए ऋणों की पूर्व समाप्ति को देखते हुए एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। टीएएमपी द्वारा पहले ही सुलझा दिए गए मामलों की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीएएमपी के आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मेंगलूर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल लि. :

(i) एमआरपीएल ने टीएएमपी को भेजे गए अपने संदर्भ के संबंध में संक्षेप में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण की हार्ड कापी प्रदान की गई थी।

(ii) दोनों बर्थों की अभिकल्पित क्षमता केवल 15 मिलियन टन प्रति वर्ष है। हम 15 मिलियन से अधिक प्रचालन कार्य कर रहे हैं। पूरे वर्ष के दौरान हमारे सामने कभी 14 मीटर जहाज डुबाव की स्थिति नहीं आयी। क्षमता से आगे हैंडलिंग और जहाज डुबाव बाधा के कारण विलम्ब शुल्क का भुगतान करना आवश्यक हो गया है।

(iii) समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान, एमआरपीएल ने `30 से `42 प्रति टन की रेंज में घाटशुल्क का भुगतान किया था। एनएमपीटी 1992 के प्रारंभ से ही एमआरपीएल की तुलना में ट्रैफिक वाल्यूम कम होने के बावजूद भी केआईओसीएल के लिए एक अलग पद्धति का अनुसरण कर रहा है। एनएमपीटी ने समझौता ज्ञापन की बाद की अवधि के लिए `70/ `51.80 प्रति टन कहा है। घाटशुल्क समझौता ज्ञापन की अवधि के पश्चात् दोगुना नहीं हो सकता। जब ट्रैफिक काफी अधिक है, तो लागत आधारित पद्धति के अंतर्गत घाटशुल्क में वद्धि कैसे हो सकती है?

(iv) एमआरपीएल एनएमपीटी के ट्रैफिक का करीब 60% का योगदान करता है और अन्यों की भांति हमारे लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं होता।

(v) घाटशुल्क की गणना करने के लिए केआईओसीएल दर/पद्धति एमआरपीएल के लिए लागू की जानी चाहिए।

(अध्यक्ष, एनएमपीटी: केआईओसीएल पत्तन के एसओआर में निर्धारित घाटशुल्क लागू करने के लिए गत तीन वर्षों अथवा चार वर्षों से हमसे कह रहा है।)

(vi) एनएमपीटी ने जेट्टी संख्या 11 के लिए वर्ष, 2009-10 और 2010-11 के लिए केवल समझौता ज्ञापन पद्धति के आधार पर घाटशुल्क गणना प्रस्तुत की है क्योंकि एनएमपीटी ने एकपक्षीय रुप से समझौता ज्ञापन को मार्च, 2011 से समाप्त हुआ मान लिया है। एनएमपीटी द्वारा समझौता ज्ञापन की अवधि को पूर्व रुप से समाप्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

(vii) जब एमआरपीएल ने करार किया था तब पत्तन प्रशुल्क लागत आधारित नहीं था। 2004 में संशोधन कर कम करके `70 करना भी लागत आधारित नहीं था। यद्यपि, दरों में यह संशोधन करना 2007 में देय था, लेकिन यह संशोधन अप्रैल, 2012 में ही किया गया था। आधिक्य के 50% को केवल घटा दिया गया था और आधिक्य की घटायी गई राशि के लिए ऋण पर केवल 3 वर्षों के लिए विचार किया गया था क्योंकि प्रशुल्क चक्र केवल 3 वर्ष है। इसलिए, बर्थों के प्रचालन की लागत से तुलना करने पर, यहां तक कि `51.80 की दर एक ऊँची दर है।

(viii) मंत्रालय के निर्देशों पर, एनएमपीटी ने हमारे साथ दो बैठकें आयोजित की थीं। एनएमपीटी 2011-12 के लिए जेट्टी 11 के लिए मामूली सहायता के साथ `70 की तुलना में `51.80 वसूल करने के लिए अधिसूचित दर वसूल करने के रुख पर कायम रहा। एमआरपीएल को यह स्वीकार्य नहीं था। हमने एनएमपीटी से कहा था कि या तो वे समझौता ज्ञापन के बाद की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन की पद्धति का पालन करें या फिर लागत अतिरिक्त दृष्टिकोण के आधार पर केआईओसीएल के लिए अपनाई गई पद्धति को अपनाएं।

(ix) हमने टीएएमपी से एनएमपीटी को समझौता ज्ञापन की बाद की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पद्धति का अनुपालन करके पारस्परिक रुप से सहमत दर के बारे में निर्णय लेने के लिए निदेश देने का अनुरोध किया है। केवल प्रचालन लागत और समुचित प्रतिफलों पर ही विचार किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशुल्क निर्धारण में क्रास सहायता के कुछ तत्व होते हैं।

4.2. संयुक्त सुनवाई में, एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों ने यह सूचित किया है कि उन्होंने पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा पारस्परिक रुप से किसी सहमत दर के संबंध में निर्णय लेने के लिए एमआरपीएल के साथ मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए अगस्त, 2012 में एनएमपीटी को दिए गए परामर्श के अनुसरण में अक्तूबर, 2012 में दो बैठकें आयोजित की थीं। मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श और एमआरपीएल के साथ एनएमपीटी द्वारा आयोजित दो बैठकों के परिणामस्वरुप, एनएमपीटी बोर्ड ने जेट्टी संख्या 10 के लिए 16 अक्तूबर, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक `70/- प्रति टन वसूलने के लिए अक्तूबर, 2012 में निर्णय लिया था, क्योंकि एनएमपीटी के अनुसार जेट्टी संख्या 10 पर कोई विवाद नहीं था। जहां तक जेट्टी संख्या 11 का संबंध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एमआरपीएल एक महत्वपूर्ण ग्राहक है, बोर्ड ने `70/- प्रति टन की तुलना में 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक `51.80 प्रति टन वसूलने का निर्णय लिया है। जैसाकि एनएमपीटी द्वारा निर्णय किया गया है, दोनों जेट्टियों के लिए 1 अप्रैल 20,12 के आगे से `51.80 प्रति टन की दर से प्रभार की वसूली की जाएगी। एनएमपीटी का यह निर्णय एमआरपीएल को स्वीकार्य नहीं है। एनएमपीटी ने कथित रुप से अपने इस निर्णय से पोत परिवहन मंत्रालय को 23 अक्तूबर 2012 ,को अवगत करा दिया था और उसे पोत परिवहन मंत्रालय के आदेशों की प्रतीक्षा थी।

4.3. चूँकि एनएमपीटी ने संयुक्त सुनवाई में यह अवगत कराया था कि उसने संयुक्त सुनवाई में लिए गए निर्णय के अनुसार, समझौता ज्ञापन के बाद की अवधि के लिए जेट्टी संख्या 10 और 11 के लिए घाटशुल्क की दर के लेवी के बारे में अपने निर्णय से पोत परिवहन मंत्रालय को अवगत करा दिया था, इसलिए, हमने अपने दिनांक 28 जून, 2013 के पत्र द्वारा एनएमपीटी से पोत परिवहन मंत्रालय का निर्णय प्राप्त होने पर अवगत कराने का अनुरोध किया था। एनएमपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 जुलाई, 2013 द्वारा यह सूचित करने के लिए सहमति व्यक्त की है कि जब कभी भी पोत परिवहन मंत्रालय से कोई आदेश प्राप्त होता है तो वे इससे इस प्राधिकरण को अवगत कराएंगे।

5. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय ने जेट्टी संख्या 10 और 11 के लिए समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त होने के बाद की अवधि के लिए घाटशुल्क के निर्धारण के मामले पर विचार करने के लिए एनएमपीटी, एमआरपीएल और टीएएमपी की एक बैठक 26 फरवरी, 2014 को आयोजित की थी। बैठक में जो स्थिति उभरकर सामने आयी थी, उससे मंत्रालय को जेट्टियों के संबंध में समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त हो जाने पर अवधि के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करना पडा था और समझौता ज्ञापन की बाद की अवधि के लिए घाटशुल्क की दर के संबंध में निर्णय लेने के लिए लागू होने वाली पद्धति को भी स्पष्ट करना पडा था।

6. इस पृष्ठभूमि में, पोत परिवहन मंत्रालय ने एनएमपीटी और एमआरपीएल के लिए एक आदेश संख्या पीआर-14013/1/2010-पीजी दिनांक 7 जुलाई, 2015 जारी किया है और उसकी एक प्रति इस प्राधिकरण को पृष्ठांकित की है। एनएमपीटी, एमआरपीएल और इस प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श से और पक्षों की सुनवाई के पश्चात् तथा 1995 एवं 2000 के समझौता ज्ञापनों जैसे संबंधित दस्तावेज, रुपए ऋण करार, एमआरपीएल द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच-पडताल करने के पश्चात् मंत्रालय में एमआरपीएल द्वारा उठाए गए मामलों की जांच करने के पश्चात्, उक्त आदेश पारित किया है। पोत परिवहन मंत्रालय के इस आदेश सार-संक्षेप नीचे दिया गया है:

(i) जेट्टी संख्या 10 के लिए 15.10.2009 के आगे से घाटशुल्क की `51.80/मीटन की दर को उपयुक्त समझा गया है।

(ii) समझौता ज्ञापन के बाद की अवधि, जो कि 01.04.2011 है, के लिए जेट्टी संख्या 11 के लिए सामान्य घाटशुल्क की लेवी की प्रभावी तारीख के संबंध में कोई संदिग्धता नहीं है।

(iii) पोत परिवहन मंत्रालय ने निष्कर्ष से संबंधित पैरा में आदेश दिया है कि:

(क) एनएमपीटी पर जेट्टी संख्या 10 और 11 के लिए घाटशुल्क की दर नीचे दिए अनुसार निर्धारित की जाएगी:

क्रं.सं.	जेट्टी सं.	सामान्य घाटशुल्क प्रभारों की लेवी की प्रभावी तारीख	घाटशुल्क प्रभार/ अवधि
1.	10	15.10.2009	`51.80 प्रति मीटन 15.10.2009से आगे
2.	11	01.04.2011	`51.80 प्रति मीटन 01.04.2011से आगे

(ख) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बाद की अवधि के लिए एमआरपीएल अपनी दो प्रग्रहित बर्थों के लिए टीएएमपी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क का भुगतान करेगा।

(ग) पोत परिवहन मंत्रालय का उपर्युक्त निर्णय एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।

7.1. इस प्राधिकरण के समक्ष आया मामला एमआरपीएल द्वारा दिए गए संदर्भ तक सीमित था जिसमें आदेश संख्या टीएमपी/22/2012-एनएमपीटी दिनांक 1 अप्रैल, 2013 के निष्कर्ष से संबंधित पैरा 11.2 के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए थे। एमआरपीएल ने समझौता

ज्ञापन की अवधि के पश्चात् जेट्टी संख्या 10 और 11 के लिए घाट शुल्क की गणना की पोत परिवहन मंत्रालय की पद्धति की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण मांगे हैं।

7.2. पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश संख्या पीआर-14013/1/2010-पीजी दिनांक 7 जुलाई, 2015 में साफ तौर पर 10 अप्रैल, 2013 के आदेश के पैरा 11.2 के संबंध में एमआरपीएल द्वारा दिए गए संदर्भ को स्पष्ट कर दिया गया है। उक्त आदेश एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों के बाध्यकारी है। इसे देखते हुए, यह प्राधिकरण समाहरण मनोनियोग के आधार पर, एमआरपीएल के दिनांक 23 अप्रैल, 2013 के अभ्यावेदन को समाप्त कर इसका निपटान करता है ।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2015(223)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th September, 2015

No. TAMP/22/2012- NMPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the reference received from Mangalore Refineries and Petrochemical Ltd. seeking clarification on Order No.TAMP/22/2012-NMPT dated 1 April, 2013 passed by this Authority as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/22/2012-NMPT

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. … Applicant

QUORUM:

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri C.B. Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of September, 2015)

This Authority passed an Order No.TAMP/22/2012-NMPT dated 1 April 2013 determining wharfage rate for Jetty Nos.10 and 11 for the years 2002-03 to 2008-09. The said Order was notified in the Gazette on 18 April, 2013 vide Gazette No. 112. In the concluding Para 11.2 of the said Order, this Authority advised New Mangalore Port Trust (NMPT) and Mangalore Refineries and Petrochemical Ltd. (MRPL) to initiate action for finalizing the wharfage rate beyond the year 2008-09. Para 11.2 of the said Order is reproduced below:

> "11.2. The NMPT and MRPL are advised to sit together and finalise the wharfage rate for the period from 2009-10 onwards and submit a proposal to this Authority within 3 months' time from the date of notification of the Order in the Gazette."

2.1. With reference to the paragraph 11.2 of the said Order, the MRPL vide its letter dated 23 April, 2013 has made a reference to this Authority to clarify whether the concluding para 11.2 of the Order applies to computation of wharfage for the balance period for both the Berths i.e. Berth No.10 and Berth No.11 ending upto 2014-15.

2.2. The MRPL has requested this Authority to issue clarification to MRPL regarding period of applicability to the Memorandum of Undertaking (MOU) method of computation of wharfage for Berth No.10 and Berth No.11 at NMPT.

3.1. A copy of the representation dated 23 April, 2013 received from the MRPL was forwarded to NMPT vide our letter dated 8 May, 2013 with a copy endorsed to MRPL requesting the port to furnish its views/ comments on the points made by the MRPL in the said letter followed by reminders dated 24 May, 2013 and 12 June, 2013.

3.2. In this connection, the NMPT vide its letter dated 10 June 2013 has furnished its remarks on the representation made by the MRPL, which are summarized below:

(i) The Memorandum of Understanding (MOU) for Jetty No.10 has expired on 15 October, 2009 and for Jetty No.11 on 31 March, 2011 on repayment of loan to the lending institutions and also to MRPL. This issue has been dealt with by the Authority in its Order dated 1 April, 2013 vide para 10(v) while fixing the final wharfage for Jetty No.10 and Jetty No.11 for the years 2002-03 to 2008-09.

(ii) Apart from that, the dispute relating to fixation of wharfage after the expiry of MOU for Jetty No.10 and Jetty No.11 was also resolved by the Port Trust Board vide Board Resolution No.159 dated 15 October, 2012 and the decision of the Board was sent to Ministry on 23 October, 2012 for passing final orders as per the terms of the MOU. Orders of the Government is awaited. Since the issue

relating to closure of MOU was already dealt in the TAMP Order dated 1 April, 2013, no further remarks are offered.

(iii) Calculation of wharfage after the expiry of MOU period does not arise as only normal wharfage is applicable after the MOU period.

4.1. A joint hearing in this case was held on 21 June, 2013 at the NMPT premises. The NMPT made a power point presentation on the matter referred by MRPL. The MRPL also made a power point presentation of its reference. At the joint hearing, the NMPT and the MRPL have made the following submissions:

New Mangalore Port Trust

(i) TAMP has passed the Order in its wisdom after hearing NMPT and MRPL. Let us honour the TAMP Order.

(ii) We are charging MRPL on SOR rate for the post MOU period. Computation of rates as per MOU formula after 16.10.2009 for Jetty No.10 and from 1.4.2011 for Jetty No.11 is not correct. Only normal wharfage is applicable after the MOU period.

(iii) Our proposal for general revision of SOR took into account the rate of `70 per MT for Jetty No.10 &11 after the expiry of MOU period. TAMP has considered the rate of `70/- in income projection and reduced the tariff of POL from `70/- to `51.80 in the Order of February, 2012. TAMP has also by considering the income projections reduced the tariff for other commodities by 26%. Our income has gone down by `55 crores to `60 crores. MPRL is not paying at `70 from 16 October, 2009 onwards for Jetty No.10 and from 1 April, 2011 onward for Jetty No.11.

(iv) We are considering the rate of `51.80 for both the Jetties as per TAMP order of February, 2012 from April, 2012. MRPL is also not paying the rate of `51.80 from 1 April, 2012 onwards for both the jetties. They are paying only the adhoc rate of `33 per MT even after the expiry of MOU period.

(v) Ministry advised NMPT in August, 2012 to discuss the issue with MRPL for mutual agreement. We had two meetings with MRPL in October, 2012. MRPL demanded fixation of tariff as per MOU formula.

(vi) Our Board has decided to charge `51.80 for both the jetties from April, 2012 as it is notified by TAMP.

(vii) There is no dispute on Jetty No.10. Dispute is only for Jetty No.11. MRPL being important customer, our Board has resolved to charge `51.80 from April, 2011 to March, 2012 also for Jetty No.11 as against `70. We have given a relief of `16.47 crores. We have sent the decision of Board to Ministry. We are awaiting the orders of Ministry. Decision of the Ministry will be binding on both NMPT and MRPL.

(viii) The meaning of words "2009 onwards" in TAMP order in para 11.2 refers to computation of wharfage for the remaining period of MOU from April 2009 to 15 October, 2009 for Jetty No.10 and from April, 2009 to March, 2011 for Jetty No.11.

(ix) TAMP heard MRPL on the issue of preclosure of loan in the proceedings of April, 2013 order and decided that no adjustment in tariff proposed by NMPT for Jetty No.11 is necessary with reference to preclosure of loans. No need to review the issues already settled by TAMP. There is no need to review TAMP Order dated 1 April, 2013.

Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd.:

(i) MRPL made a brief power point presentation on its reference made to TAMP. Hard copy of the presentation was given.

(ii) Design capacity of both the berths is only 15 Million Tonnes per annum. We are operating beyond 15 Million. We never get 14 meters draught throughout the year. Handling beyond capacity and draught constraint necessitate payment of demurrages.

(iii) During MOU period, MRPL paid wharfage in the range of `30 to `42 per tonne. NMPT is following a separate methodology for KIOCL right from 1992 despite traffic volume being lower than MRPL. NMPT asks `70 / `51.80 per tonne for post MOU period. Wharfage cannot be double after the MOU period. When traffic is on the higher side, how wharfage can increase under cost based method?

(iv) MRPL contributes nearly 60% of the traffic of NMPT and no special treatment for us unlike others.

(v) KIOCL rate / methodology should be applied to MRPL for calculation of wharfage.
(Chairman, NMPT: KIOCL is asking us for the past three or four years to apply wharfage prescribed in port's SOR).

(vi) NMPT has furnished wharfage calculation based on MOU methodology only for the years 2009-10 and 2010-11 for jetty No. 11 as NMPT has unilaterally treated the MOU as closed with effect from March, 2011. NMPT is not justified in pre closing the MOU period.

(vii) When MRPL entered, port tariff was not cost based. The downward revision in 2004 at `70/- was also not cost based. Though the revision of rate was due in 2007, revision was done only in April, 2012. 50% of surplus was only set off and the credit for set off the surplus was considered only for 3 years as tariff cycle is only 3 years. Therefore, even the rate of `51.80 is higher when compared to cost of operating the berths.

(viii) On the direction of Ministry, NMPT held two meetings with us. NMPT stood by its stand to charge the notified rate with a marginal relief for jetty 11 for 2011-12 to charge `51.80 as against `70/-. It is not acceptable to MRPL. We told NMPT either to follow MOU methodology for post MOU period or adopt method followed for KIOCL based on cost plus approach.

(ix) We request TAMP to direct NMPT to arrive at a mutually agreed rate by following MOU method for periods post MOU also. Only operating cost and reasonable returns should be considered. General tariff fixation has certain element of cross subsidization.

4.2. At the joint hearing, both NMPT and MRPL reported that they had two meetings in October, 2012 in pursuance of an advice rendered by the Ministry of Shipping (MoS) to NMPT in August, 2012 to discuss the issues with MRPL to arrive at the mutually agreeable rate. Consequent to the advice rendered by Ministry and the two meetings the NMPT had with the MRPL, the NMPT Board has taken a decision in October 2012 to charge `70/- per tonne from 16 October, 2009 to 31 March, 2012 for Jetty No.10 as there is no dispute on Jetty No.10, according to NMPT. As far as Jetty No.11 is concerned, the Board has decided to charge `51.80 per tonne from 1 April, 2011 to 31 March, 2012 as against `70/- per tonne, considering MRPL being an important customer. The rate of `51.80 per tonne will be charged from 01 April, 2012 onwards for both the Jetties as decided by the NMPT. The decision of NMPT are not acceptable to MRPL. The NMPT has reportedly conveyed its decision to the MOS on 23 October, 2012 and it was awaiting the Orders of MOS.

4.3. Since the NMPT had at the joint hearing reported that it had conveyed its decision regarding levy of wharfage rate for Jetty Nos.10 and 11 for the post MOU period to the MOS, as decided at the joint hearing, the NMPT was requested vide our letter dated 28 June, 2013 to convey the decision of the MOS when received. The NMPT, vide its letter dated 3 July, 2013, agreed to inform this Authority as and when any order from the MOS is received.

5. In the meantime, MOS convened a meeting of NMPT, MRPL, and TAMP on 26 February, 2014 to discuss the issue of fixation of wharfage for Jetty no. 10 and 11 for the post MOU period. As emerged in the meeting, the Ministry was to issue necessary clarification on the period when MOU concludes with respect to the jetties and also to clarify on the methodology applicable for arriving at the wharfage rate for the period beyond MOU.

6. In this backdrop, the MOS has issued an Order No.PR-14013/1/2010-PG dated 7 July, 2015 to the NMPT and MRPL and endorsed a copy of the same order to this Authority. The MOS after examining the issues raised by MRPL in the Ministry in consultation with NMPT, MRPL and this Authority and after hearing the parties and scrutinizing the relevant documents such as MoUs of 1995 and 2000, the Rupee Loan Agreement, and the submissions made by MRPL, has passed the said Order. The gist of the Order of the MOS is given below:

(i). Wharfage rate at `51.80/MT is considered reasonable for Jetty no.10 w.e.f. 15.10.2009 onwards.

(ii). There is no ambiguity on the effective date of levy of normal wharfage charges for jetty no.11 for the post MOU period which is from 01.04 2011.

(iii). The MOS has in the concluding para ordered that:

(a) The rate of wharfage charges for jetty nos.10 and 11 at NMPT shall be fixed as under:

Sr. No.	Jetty No.	Effective date of levy of normal wharfage charges	Wharfage charges/ period
1.	10	15.10.2009	`51.80 per MT from 15.10.2009 onwards
2.	11	01.04.2011	`51.80 per MT from 01.04.2011 onwards

(b) It has further clarified that for the subsequent period MRPL shall pay the tariff fixed by TAMP for their two captive berths.

(c) The aforesaid decision of the Ministry of Shipping shall be binding on both NMPT and MRPL.

7.1. The matter before this Authority is limited to the reference made by the MRPL seeking clarification on the concluding para 11.2 of the Order No.TAMP/22/2012-NMPT dated 1 April, 2013. The MRPL has sought clarification about the applicability of the MOU method of computation of wharfage rate for Jetty Nos.10 and 11 beyond the MOU period for these two jetties.

7.2. The MOS Order No.PR-14013/1/2010-PG dated 7 July, 2015 explicitly clarifies the reference made by the MRPL on para 11.2. of the Order dated 10 April, 2013. The said Or der is binding on both NMPT and MRPL. In view of that, this Authority based on collective application of mind disposes of the representation of the MRPL dated 23 April, 2013 as closed.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. – III/4/Exty./143/2015 (223)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.